न्यायालय सहायक कलेक्टर , पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : वार सिंह, RAS

राजस्व वाद संख्या : 33/2018

1. कस्तुरमल पुत्र स्व0 लादाजी आयु 54 वर्ष जाति–घांची
2. तुलसीराम पुत्र स्व0 लादाजी आयु 35 वर्ष जाति–घांची
3. चम्पा पुत्री स्व0 लादाजी आयु 60 वर्ष जाति–घांची
4. नेनु पुत्री स्व0 लादाजी आयु 45 वर्ष जाति–घांची
5. जमना बेवा मंछाराम आयु 45 वर्ष जाति–घांची
6. राकेश पुत्र स्व0 मंछाराम आयु 26 वर्ष जाति–घांची
7. रोहित पुत्र स्व0 मंछाराम आयु 22 वर्ष जाति–घांची
8. हितेश पुत्र स्व0 मंछाराम आयु 13 नाबालिग जरिये माता श्रीमति जमना बेवा मंछाराम जाति–घांची
9. टीना पुत्र स्व0 मंछाराम आयु 19 वर्ष जाति–घांची
10. मनीषा पुत्री स्व. मंछाराम आयु 15 वर्ष नाबालिग जाति घांची जरिये माता ।
11. देवाराम पुत्र स्व0 खेताराम आयु 73 वर्ष जाति घांची निवासीयान झाड़ोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

.... वादी

बनाम

1. वीराराम पुत्र स्व0 भीमाजी आयु व्यस्क़ जाति–घांची
2. रवि पुत्र स्व0 भीमाजी आयु व्यस्क जाति–घांची
3. मीरा पुत्री स्व0 भीमाजी आयु व्यस्कं जाति–घांची
4. वीणा पुत्री स्व0 भीमाजी आयु व्यस्क जाति–घांची
5. पूज़ा पुत्री स्व0 भीमाजी आयु व्यस्क जाति–घांची
6. थानाराम पुत्र स्व0 खेताजी आयु व्यस्क जाति–घांची सर्व निवासीयान झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा।

.... प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

दिनांक :– 26.08.2019

उपस्थिति : –

1. श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता – वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 – एक पक्षीय।
3. श्री पेरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक : 26.08.2019

निर्णय

1. प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण कस्तुरमल वगेराह ने दिनांक 13.08.2018 को इस न्यायालय में एक वाद तहत् धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य के साथ पेश किया है कि मौजा झाडोली तहसील पिण्डवाडा में खाता संख्या 524 खसरा सं. 332 व 336 की कुल 3 बीघा 4 बिस्वा कृषि आराजी स्थित है जो आराजी वादीगण के पूर्वज खेता पुत्र मकनाजी के कब्जे काश्त व अधिकार की रही है तथा खेता पुत्र मकनाजी के देहान्त के पश्चात् उक्त आराजी वादीगणके कब्जे काश्त एवं अधिकार में है तथा वादीगण पिछले 75 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त आराजी के कब्जे काश्त में है। वादीगण स्वर्गीय खेता पुत्र मकनाजी के वारिसदार एवं कायम मुकाम है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है एवं न ही उनकी कब्जा काश्त रही है। माह नवम्बर 2017 में वादीगण द्वारा राजस्व कोर्ट की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी के राजस्व रेकोर्ड में भीमा, थाना पुत्र खेताजी कौम घांची का नाम चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वर्गीय भीमा,थाना पुत्र खेताजी के वारिसदार है तथा थाना पुत्र खेताजी ज़ीवित है जो प्रतिवादी संख्या 6 है। राजस्व रेकोर्ड की उक्त त्रुटी ध्यान में आने के बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण से मिलकर राजस्व रेकोर्ड की त्रुटी दुरुस्त करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ने त्रुटी स्वीकार करते हुये दिनांक 04.11.2017 को एक इकरार नामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर वादग्रस्त आराजी वादीगण के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की होना स्वीकार किया लेकिन प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम करवाने की कोई कार्यवाही नही की जिस पर घोषणा एवं स्थाई निषेधा का वाद पेश किया गया है।

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

3. यह कि उक्त वाद के सम्मन प्रतिवादीगण को जारी किये गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा बावजुद तामील उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के विरूद्ध दिनांक 31.10.2018 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध 22.01.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये गये।

4. यह कि वादी साक्ष्य में वादी संख्या 11 देवाराम के बयान दिनांक 25.03.2019 को दर्ज किये गये तथा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी प्रदर्श एक तथा इकरार दिनांक 4.11.2017 को प्रदर्श–2 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से उक्त गवाह से जिरह नही हुई।

5. वादी देवाराम ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों बाबत् साक्ष्य दी जो अखण्डीत रही वाद में यह विचाराणीय बिन्दु है कि क्या वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 332 व 336 रक्बां 3 बीघा 4 बिस्वा मौजा झाडोली वादीगण के कब्जे काश्त व अधिकार की है तथा क्या वादीगण उक्त आराजी के खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है।

6. यह कि अभिलेख पर उपलब्ध जमाबंदी प्रदर्श एक व इकरार दिनाक 4.11.2017 प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकोर्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम पर है लेकिन उक्त प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने प्रदर्श 2 इकरार नामा के जरिये वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त एवं अधिकारं की होना स्वीकार किया है तथा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य से भी साबित हुआ है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अतः वादीगण कस्तुरमल व अन्य को मौजा झाडोली की कृषि आराजी खाता संख्या 524 खसरा संख्या 332 व 336 कुल 3 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को वादग्रस्त आराजी में दखलन्दाजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

(वार सिंह)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

अतः यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया तदनुसार डिक्रीं पर्चा तैयार किया जावे।

(वार सिंह)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर वाड़ा (सिरोही)

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रुल 67 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाड़ा (सिरोही)

बईजलास डॉ० वीर सिंह आर.एस.एस. दिनांक

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कस्तुरमल व अन्य कुल (11)		वीयराम व अन्य कुल (7)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं. 33 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु

व हाजरी संजय अग्रवाल मिजानानिब

मुद्दई व एकपक्षीय मिजनानिब मुद्धायलह

पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिगरी दी जाती है कि मौजा भाडोली तहसील पिण्डवाड़ा स्थित कृषि आराजी खाता संख्या 524 खसरा संख्या 332 व रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा का वादीगण कस्तुरमल वगैराह 11 व्यक्ति को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण वीयराम वगैराह को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा किया जाता है कि वे वादीगण की कृषि आराजी मे दखल नही करे तथा तहसीलदार पिण्डवाड़ा मुताबिक निर्णय व डिग्री वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.08.19 को जारी किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
पिण्डवाड़ा (सिरोही)

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा (सिरोही)